अनुसची-3
विनियम 5(3)(1) देखें

संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तन और/अथवा अप्रत्यावर्तन आधार पर भारत के शेयर बाार में अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा शेयरों और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का क्रय/विक्रय

1. अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार से पंजीकृत दलाल के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेंयरं और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंर्गिरं का क्रय/विक्रय कर सकता हैं

i) अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय इस योाना के अंतर्गत शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंर्गिरं के क्रय और विक्रय से संबंधित अपने लेनदेनों के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा को निर्दिष्ट करता है तथा इस प्रकार निर्दिष्ट की गई शाखा के माध्यम से ही अपने ऐसे सभी लेनदेन करता है;

ii) प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्तन दोनों ही आधार पर प्रत्येक अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा किसी भारतीय कंपनी के खरीदे गये शेयरों का चुकता मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी किये गये शेयरों के चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो;

iii) प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्तन दोनों ही आधार पर प्रत्येक अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा खरीदे गये परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला का चुकता मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी किये गये परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो;

iv) सभी अनिवासी भारतीयों अथवा विदेश स्थित निगमित निकायों द्वारा किसी कंपनी के खरीदे गये शेयरों का कुल चुकता मूल्य कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न हो तथा परिवर्तनीय डिबेंर्गिरं की खरीद के मामले में सभी अनिवासी भारतीयों तथा विदेश स्थित निगमित निकायों द्वारा खरीदे गये डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला का कुल चुकता मूल्य परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो;
बशर्ते, इस खंड में संदर्भित 10 प्रतिशत की कुल उच्चतम सीमा को ऐसी स्थिति में 24 प्रतिशत तक बचाया जा सकता है जब इस हेतु संबंधित भारतीय कंपनी की साधारण सभा द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया हो ;

v) अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निवेशक खरीद गये शेयरों की सुपुर्दगी प्राप्त करे और बेर्गिट शेयरों की सुपुर्दगी प्राप्त करे और बेचे गये शेयरों की सुपुर्दगी प्रदान करे ;

vi) शेयरों और/अथवा डिबेंर्गिरं की खरीद के लिए भुगतान ऐसी स्थिति में भारत में खोले गये एनआरई/एफसीएनआर खातें में धारित निधियों से अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण द्वारा की जाती है जब शेयरों की खरीद प्रत्यावर्तन के आधार पर तथा आवक विप्रेषण से की गई हो वहां उसका भुगतान संबंधित अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय के भारत में खोले गये एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/एनआरएनआर/ एनआरएसआर खातें में धारित निधि से किया जाता है ;

vii) विदेश स्थित निगमित निकाय में अनिवासी भारतीय की धारिता / हित 60 प्रतिशत से कम होते ही विदेश स्थित निगमित निकाय प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा को तुरंत इसकी सूचना देता है ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट

पैरा 1 में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा का सम्पर्क कार्यालय दैनिक आधार पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिये जाएंगे :

क) अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय का नाम ।

ख) प्रत्येक अनिवासी भारतीय /विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा खरीदे और/अथवा बेर्गिट गये शेयरों और /अथवा डिबेंर्गिरं की कंपनीवार संख्या और उनका चुकता मूल्य ।

3. शेयरों और /अथवा डिबचचरों की विक्री/परिपक्वता से प्राप्त राशियों का विप्रेषण /जमा

इस योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा किसी भारतीय कंपनी के खरीदे गये शेयरों और /अथवा डिबेंचरों की बिक्री/परिवक्वता से प्राप्त निवल

राशियों (कर चुकाने के बाद) को पैरा 1 में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमति दी जा सकती है,

क) जहां शेयरों की खरीद और / अथवा डिबेंर्चिरों की बिक्री एनआरएसआर खाते में धारित निधियों में से की गई हो वहां अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निवेशक के एनआरएसआर खाते में जमा करने के लिए अथवा

ख) जहां शेयरों की खरीद और / अथवा डिबेंर्चिरों की खरीद अप्रत्यावर्तनीय आधार पर की गई हो, वहां अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निवेशक के विकल्प पर उसके एनआरओ अथवा एनआरएसआर खाते में जमा करने के लिए, अथवा

ग) जहां शेयरों और /अथवा डिबेंर्चिरों की खरीद प्रत्यावर्तन आधार पर की गई हो, वहां अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निवेशक के विकल्प पर राशि का विदेश में विप्रेषण अथवा उसके एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/ एनआरएनआर खातें में जमा करने के लिए ।